उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 1176 /XXIV-B-1/21–32(02)/2011
देहरादूनः दिनांक 23 फरवरी, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमवाली बनाते हैं–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–8 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–8 के उपनियम (1) के खण्ड(पांच) में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–8 का संशोधन	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेन्टिग/फाईन आर्ट (पेंन्टिग)/ visual Art (पेंन्टिग) विषय में स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से बी0एड0 उपाधि। अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में बी0ए0एड0 की न्यूनतम चार वर्षीय उपाधि।	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राईंग एवं पेन्टिग/ ड्राईंग डिजाइन/प्राविधिक कला/पेंटिंग (फाईन आर्ट)/पेंन्टिग (visual Art) विषय में स्नातक की उपाधि। **टिप्पणीः–उपर्युक्त विषय स्नातक के सभी वर्ष/सेमेस्टर में होना अनिवार्य है।** अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में बी0ए0एड0 की न्यूनतम चार वर्षीय उपाधि।

आज्ञा से,

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 477 /XXIV-B-1/21–32(02)/2010
देहरादूनः दिनांक 25 फरवरी, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमवाली बनाते हैं, अर्थातः–

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिशिष्ट 'क' का संशोधन 2. उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली–2008 में दी गयी अर्हता में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये परिशिष्ट 'क' में क0सं0 13 में दी गयी अनिवार्य अर्हता के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी अर्हता रख दी जायेगी, अर्थात्–

	स्तम्भ–1 विद्यमान बिन्दु	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित बिन्दु
13	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला(ड्राइंग एण्ड पेन्टिग) में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि(बी0एड0)।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला(ड्राइंग एण्ड पेन्टिग)/ ड्राईंग डिजाइन/प्राविधिक कला/पेंटिंग (फाईन आर्ट)/ पेंन्टिग (visual Art) में स्नातकोत्तर उपाधि।

आज्ञा से,

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

Scanned by CamS
Scanned by CamScanner